न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारीः मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या–178/2019 GCMS:-2019/00275 **दायरा दिनांकः–20/11/2019**

1. रेवन्तराम
2. हेतराम उर्फ पृथ्वीराज

} पिसरान टिकुराम अकवाम जाट निवासीयान किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

3. सरबती पत्नी हेतराम उर्फ पृथ्वीराज जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

.....**वादीगण**

बनाम्

1. विद्या देवी
2. सुल्तान
3. जेरादेवी
4. हेमराज
5. सावित्रीदेवी

} पुत्र/पुत्रीयां सरस्वती देवी पुत्री मेघाराम पत्नी नत्थूराम अकवाम जाट निवासीयान फरसेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज.।

6. पार्वतीदेवी
7. बृजलाल
8. श्योप्रकाश

} पुत्र/पुत्रीयां रूपराम अकवाम जाट निवासीयान फरसेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

9. रामकौरी पत्नी श्री सुरजाराम जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

10. भादर राम
11. हेतराम

} पिसरान पूर्णराम अकवाम जाट निवासीयान किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

12. हेमराज
13. शंकरलाल

} पिसरान शेराराम अकवाम जाट निवासीयान किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

14. जगदीश कुमार
15. संदीप कुमार

} पिसरान फुलसिंह अकवाम जाट निवासीयान अग्रवाल कॉलोनी वार्ड नं. 18, फतेहबाद जिला फतेहबाद।

16. विद्या देवी
17. सोना देवी
18. सन्तो देवी
19. मनफुलराम
20. कृष्ण
21. गुड्डी देवी
22. भोमा राम
23. सावत्री देवी
24. जेठाराम
25. मेखादेवी
26. रामकुमार

} पुत्र/पुत्रीया हरचन्द अकवाम जाट निवासीयान किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

27. तुलछा देवी पत्नी श्री देवीलाल जाति जाट साकिन किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

28. सुमनदेवी
29. राधादेवी
30. सरोज देवी
31. इन्द्रा देवी
32. हनुमान
33. मोहन

} पुत्र/पुत्रीया देवीलाल अकवाम जाट निवासीयान किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

34. प्रबन्धक क्षैत्रिय ग्रामिण बैंक शाखा सूरतगढ़।
35. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

.....**प्रतिवादीगण**

..... 2 पर लगातार

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.11.11 17:17:23 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1–सुभाषचन्द्र बिश्नोई अभिभाषक वादीगण

2–धनवीर सिंह हुन्दल, अमित कुमार अभिभाषक प्रतिवादी सं. 2–4–7–8

2–अमित कुमार अभिभाषक प्रतिवादी सं. 14 से 33

4–पैराकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़।

–:– **निर्णय** –:– दिनांकः– 21/10/2020

पत्रावली पेश हुई वकील वादीगण/प्रतिवादीगण उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादीगण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व तहसील सूरतगढ के ग्राम किशनपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2062 के खाता संख्या 107/209 के खसरा नं. 271 में 14.105 है0 बारानी, खसरा नं. 273 में 2.750 है0 बारानी, खसरा नं. 274 में 0.696 है0 बारानी, खसरा नं. 324 में 7.767 है0 बारानी खाता की कुल 25.326 है0 बारानी व इसी प्रकार चक 5 बी.जे.डब्ल्यू. द्वितीय की जमाबन्दी सम्वत 2062 के खाता संख्या 31 के प0 न0 232/58(37) के कि0न0 13/0.253 है0, 15–16/0.506 है0, 18/0.253 है0, 23/0.228 है0, 25/0.228 है0 = 1.468 है0 कमाण्ड, प0 न0 12/2(38) के कि0न0 9/0.253 है0, 11/0.228 है0, 12/0.253 है0, 14/0.253 है0, 20/0.228 है0, 21/0.202 है0 = 1.417 है0 कमाण्ड, प0 न0 12/3(43) के कि0न0 1/0.228 है0, 4/0.253 है0, 6 ता 9/1.012 है0, 10/0.228 है0, 11/0.228 है0, 12 ता 14/0.759 है0 = 2.708 है0 कमाण्ड, प0 न0 232/59(44) के कि0न0 3/0.253 है0, 5/0.253 है0 (क. 0.228 है0, खाला 0.025 है0), 6/0.253 है0 (क. 0.228 है0, खाला 0.025 है0), 14/0.253 है0, 15/0.253 है0 (क. 0.228 है0, खाला 0.025 है0) = 1.265 है0 (क. 1.190 है0, खाला 0.075 है0) खाता की कुल 6.858 है0 व इसी प्रकार चक 1 के.एस.पी.एम. (ए) के जमाबन्दी सम्वत 2062 के खाता संख्या 36 के प0 न0 231/33(2) के कि0न0 14 ता 19, 24–25 = 1.518 है0 (क. 0.506 है0, अनकमाण्ड 1.075 है0), प0 न0 231/41(3) के कि0न0 11, 20, 21 = 0.621 है0 (कमाण्ड 0.229 है0, अनकमाण्ड 0.393 है0), खाता की कुल 2.202 है0 (कमाण्ड 0.734 है0, अनकमाण्ड 1.468 है0) भूमि का खाता अपवादीत है जो वादीगण व प्रतिवादीगण का मुताबिक हिस्सा सही किया जावे।

वाद पत्र दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया प्रतिवादी सं. 2–4–7–8 की तरफ से धनवीर हुन्दल अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया गया व प्रतिवादी संख्या 14 ता 33 की तरफ से अमित कुमार अधिवक्ता ने इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत किया पैरोकार राज द्वारा दिनांक 10/09/2020 को जवाब दावा पेश किया वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर प्रतिवादी सं. 1, 3, 5 व 6 के द्वारा अपना हक त्याग करने के कारण नाम तर्क करने का निवेदन किया जो दिनांक 10/09/2020 को इनके नाम तर्क किये गये प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 की विधीवद्ध तामिल होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर साक्ष्य वाद लिये जाकर बहस सुनी गई।

वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैरवाद रकबा वर्तमान में अपवादीत खाता है जो पूर्व में रोही किशनपुरा के खसरों में था जो दौराने चकबन्दी रोही किशनपुरा के खसरा नं. 399 व 273 का 12.707 है0 रकबा चक 5 बी जे डब्ल्यू द्वितीय में 10.072 है0 व चक 1 के एस पी एम–ए में 2.202 है0 रकबा पैमूद हुआ सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उक्त रकबा अलग चकबन्दी में पैमूद तो कर दिया लेकिन रोही किशनपुरा के खसरों की सम्पूर्ण 150.06 भूमि का हिस्सा दर्ज कर दिया जो कि वर्तमान में रकबा कम व हिस्सा ज्यादा होने के कारण वादीगण व प्रतिवादीगण को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए मुताबिक कब्जा व हिस्सा अनुसार वाद पत्र के पैरा नं. 4 के अनुरूप वादीगण व प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज कर सही अंकित किया जावे।

वकील प्रतिवादीगण द्वारा भी उक्त तथ्यों को स्वीकार किया व वकील प्रतिवादी सं. 2, 4, 7–8 द्वारा निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1, 3, 5, 6 द्वारा अपना हक व हिस्सा की दस्तबरदारी प्रतिवादी संख्या 2, 4 व 7–8 के पक्ष में निस्पादीत करवा दी हैं इसलिए उनका हिस्सा भी मुताबिक दस्तबरदारी दर्ज किया जाकर वाद पत्र डिक्री किया जावे।

बहस का मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया व संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया। पैरोकार राज द्वारा अपने जवाबदावा में भी उक्त जैरवाद रकबा को अपवादीत दर्शाकर वाद–पत्र राज्यहीत को सुरक्षित रखते हुए स्वीकार करने का निवेदन किया है।

..... 3 पर लगातार

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.11.11 17:17:23 IST
Reason: SelfAttested

उक्त विवेचना अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर जैरवाद रकबा राजस्व तहसील सूरतगढ के ग्राम किशनपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2062 के खाता संख्या 107/209 के खसरा नं. 271 में 14.105 है0 बारानी, खसरा नं. 273 में 2.750 है0 बारानी, खसरा नं. 274 में 0.696 है0 बारानी, खसरा नं. 324 में 7.767 है0 बारानी खाता की कुल 25.326 है0 बारानी में से वादी संख्या 1 का 6.331 है0, वादी संख्या 2 का 6.332 है0, व प्रतिवादी सं0 2 का 1.407 है0, प्रतिवादी सं. 4 का 1.407 है0, प्रतिवादी सं. 7 का 0.703 है0, प्रतिवादी सं. 8 का 0.704 है0, प्रतिवादी सं. 9 का 1.463 है0, प्रतिवादी सं. 10 व 11 का 2.111 है0, बहिस्सा बराबर व प्रतिवादी सं. 12 व 13 का 1.463 है0, बहिस्सा बराबर व प्रतिवादी सं. 14 व 15 का 1.294 है0 बहिस्सा बराबर, व प्रतिवादी संख्या 16 ता 26 का 1.936 है0 ब0हि0बराबर, व प्रतिवादी संख्या 27 ता 33 का 0.175 है0 ब0हि0बराबर रकबा दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे व इसी प्रकार चक 1 के.एस. पी.एम. (ए) के जमाबन्दी सम्वत 2062 के खाता संख्या 36 के प0 न0 231/33(2) के कि0न0 14 ता 19, 24–25 = 1.518 है0 (क. 0.506 है0, अनकमाण्ड 1.075 है0), प0 न0 231/41(3) के कि0न0 11, 20, 21 = 0.621 है0 (कमाण्ड 0.229 है0, अनकमाण्ड 0.393 है0), खाता की कुल 2.202 है0 (कमाण्ड 0.734 है0, अनकमाण्ड 1.468 है0) में से वादी सं. 1 का 0.551 है0, वादी सं. 2 का 0.550 है0, व प्रतिवादी सं0 2 का 0.122 है0, प्रतिवादी सं. 4 का 0.123 है0, प्रतिवादी सं. 7 का 0.061 है0, प्रतिवादी सं. 8 का 0.061 है0, प्रतिवादी सं. 9 का 0.184 है0, प्रतिवादी सं. 10 व 11 का 0.183 है0, ब.हि.बराबर, प्रतिवादी सं. 12 व 13 का 0.181 है0 बहिस्सा बराबर, 16 ता 26 का 0.168 है0 ब0हि0बराबर, व प्रतिवादी संख्या 27 ता 33 का 0.015 है0 ब0.हि0बराबर रकबा दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे व इसी प्रकार चक 5 बी.जे.डब्ल्यू. द्वितीय की जमाबन्दी सम्वत 2062 के खाता संख्या 31 के प0 न0 232/58(37) के कि0न0 13/0.253 है0, 15–16/0.506 है0, 18/0.253 है0, 23/0.228 है0, 25/0.228 है0 = 1.468 है0 कमाण्ड, प0 न0 12/2(38) के कि0न0 9/0.253 है0, 11/0.228 है0, 12/0.253 है0, 14/0.253 है0, 20/0.228 है0, 21/0.202 है0 = 1.417 है0 कमाण्ड, प0 न0 12/3(43) के कि0न0 1/0.228 है0, 4/0.253 है0, 6 ता 9/1.012 है0, 10/0.228 है0, 11/0.228 है0, 12 ता 14/0.759 है0 = 2.708 है0 कमाण्ड, प0 न0 232/59(44) के कि0न0 3/0.253 है0, 5/0.253 है0 (क. 0.228 है0, खाला 0.025 है0), 6/0.253 है0 (क. 0.228 है0, खाला 0.025 है0), 14/0.253 है0, 15/0.253 है0 (क. 0.228 है0, खाला 0.025 है0) = 1.265 है0 (क. 1.190 है0, खाला 0.075 है0) खाता की कुल 6.858 है0 में से वादी संख्या 2 का कब्जा काश्त प0 न0 232/58(37) के कि0न0 15–16/0.506 है0, 25/0.228 है0 = 0.734 है0 कमाण्ड, प0 न0 12/2(38) के कि0न0 9/0.253 है0, 11/0.228 है0, 12/0.253 है0, 14/0253 हैं0, .20/0.228 है0, 21/0.202 है0 = 1.417 है0 कमाण्ड, प0 न0 12/3(43) के कि0न0 1/0.228 है0, 9/0.253 है0, 10/0.228 है0, 11/0.228 है0 = 0.937 है0 कमाण्ड, प0 न0 232/59(44) के कि0न0 3/0.253 है0, 5/0.253 है0 (क. 0.228 है0, खाला 0.025 है0), 6/0.253 है0 (क. 0.228 है0, खाला 0.025 है0) = 0.759 है0 (क. 0.709 है0, खाला 0.050 है0) खाता की कुल 3.847 है0 (क. 3.797 है0, खाला 0.050 है0), वादी संख्या 3 का प0 न0 232/59 का कि0न0 14/0.253 है0, 15/0.253 है0, (कमाण्ड 0.228 है0, खाला 0.025 है0) = 0.506 है0, (कमाण्ड 0.481 है0, खाला 0.025 है0) व प्रतिवादी सं. 2–4, व 7–8 का कब्जाकाश्त प0 न0 12/3(43) का कि0न0 4/0.253 है0, 6–7–8/0.759 है0, 12 ता 14/0.759 है0 = 1.771 है0 (प्रतिवादी सं. 2 व 4 का 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 7 व 8 का 1/3 हिस्सा), प्रतिवादी सं. 16 ता 33 का कब्जाकाश्त प0 न0 232/58(37) के कि0न0 13/0.253 है0, 18/0.253 है0, 23/0.253 है0 = 0.734 है0 (प्रतिवादी संख्या 16 ता 26 का 11/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 27 ता 33 का 1/12 हिस्सा) दर्ज राजस्व रिकार्ड किये जाने के आदेश दिये जाते है अगर उक्त रकबा रहन है तो यथावत रहेगो। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21/10/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

सहायक कलक्टर सूरतगढ़

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.11.11 17:17:23 IST
Reason: SelfAttested

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)2

डिकी बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत –**सहायक जिलाधीश एव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर**

बइजलास –**मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.**

अनवानः–

1. रेवन्तराम
2. हेतराम उर्फ पृथ्वीराज

} पिसरान टिकुराम अकवाम जाट निवासीयान किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

3. सरबती पत्नी हेतराम उर्फ पृथ्वीराज जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

.....**वादीगण**

बनाम्

1. विद्या देवी
2. सुल्तान
3. जेरादेवी
4. हेमराज
5. सावित्रीदेवी

} पुत्र/पुत्रीयां सरस्वती देवी पुत्री मेघाराम पत्नी नत्थूराम अकवाम जाट निवासीयान फरसेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज.।

6. पार्वतीदेवी
7. बृजलाल
8. श्योप्रकाश

} पुत्र/पुत्रीयां रूपराम अकवाम जाट निवासीयान फरसेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

9. रामकौरी पत्नी श्री सुरजाराम जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

10. भादर राम
11. हेतराम

} पिसरान पूर्णराम अकवाम जाट निवासीयान किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

12. हेमराज
13. शंकरलाल

} पिसरान शेराराम अकवाम जाट निवासीयान किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

14. जगदीश कुमार
15. संदीप कुमार

} पिसरान फुलसिंह अकवाम जाट निवासीयान अग्रवाल कॉलोनी वार्ड नं. 18, फतेहबाद जिला फतेहबाद।

16. विद्या देवी
17. सोना देवी
18. सन्तो देवी
19. मनफुलराम
20. कृष्ण
21. गुड्डी देवी
22. भोमा राम
23. सावत्री देवी
24. जेठाराम
25. मेखादेवी
26. रामकुमार

} पुत्र/पुत्रीया हरचन्द अकवाम जाट निवासीयान किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

27. तुलछा देवी पत्नी श्री देवीलाल जाति जाट साकिन किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

28. सुमनदेवी
29. राधादेवी
30. सरोज देवी
31. इन्द्रा देवी
32. हनुमान
33. मोहन

} पुत्र/पुत्रीया देवीलाल अकवाम जाट निवासीयान किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

34. प्रबन्धक क्षैत्रिय ग्रामिण बैंक शाखा सूरतगढ़।
35. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

.....**प्रतिवादीगण**

..... 2 पर लगातार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.11.11 17:17:23 IST
Reason: SelfAttested

वाद अन्तर्गत 88, 53, 209 आर.टी.ए. मुकदमा न0 178 वर्ष 2019 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर सुभाषचन्द्र बिश्नोई अभिभाषक वादीगण, धनवीर सिंह हुन्दल प्रतिवादी सं. 2–4–7–8, अमित कुमार अभिभाषक प्रतिवादी सं. 14 से 33, पैराकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है।

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से आदेशित कर डिक्री जारी करने के आदेश प्रदान किये जाते हैः–

राजस्व तहसील सूरतगढ के ग्राम किशनपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2062 के खाता संख्या 107/209 के खसरा नं. 271 में 14.105 है0 बारानी, खसरा नं. 273 में 2.750 है0 बारानी, खसरा नं. 274 में 0.696 है0 बारानी, खसरा नं. 324 में 7.767 है0 बारानी खाता की कुल 25.326 है0 बारानी में से वादी संख्या 1 का 6.331 है0, वादी संख्या 2 का 6.332 है0, व प्रतिवादी सं0 2 का 1.407 है0, प्रतिवादी सं. 4 का 1.407 है0, प्रतिवादी सं. 7 का 0.703 है0, प्रतिवादी सं. 8 का 0.704 है0, प्रतिवादी सं. 9 का 1.463 है0, प्रतिवादी सं. 10 व 11 का 2.111 है0, बहिस्सा बराबर व प्रतिवादी सं. 12 व 13 का 1.463 है0, बहिस्सा बराबर व प्रतिवादी सं. 14 व 15 का 1.294 है0 बहिस्सा बराबर, व प्रतिवादी संख्या 16 ता 26 का 1.936 है0 ब0हि0बराबर, व प्रतिवादी संख्या 27 ता 33 का 0.175 है0 ब0हि0बराबर रकबा दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे व इसी प्रकार चक 1 के.एस.पी.एम. (ए) के जमाबन्दी सम्वत 2062 के खाता संख्या 36 के प0 न0 231/33(2) के कि0न0 14 ता 19, 24–25 = 1.518 है0 (क. 0.506 है0, अनकमाण्ड 1.075 है0), प0 न0 231/41(3) के कि0न0 11, 20, 21 = 0.621 है0 (कमाण्ड 0.229 है0, अनकमाण्ड 0.393 है0), खाता की कुल 2.202 है0 (कमाण्ड 0.734 है0, अनकमाण्ड 1.468 है0) में से वादी सं. 1 का 0.551 है0, वादी सं. 2 का 0.550 है0, व प्रतिवादी सं0 2 का 0.122 है0, प्रतिवादी सं. 4 का 0.123 है0, प्रतिवादी सं. 7 का 0.061 है0, प्रतिवादी सं. 8 का 0.061 है0, प्रतिवादी सं. 9 का 0.184 है0, प्रतिवादी सं. 10 व 11 का 0.183 है0, ब.हि.बराबर, प्रतिवादी सं. 12 व 13 का 0.181 है0 बहिस्सा बराबर, 16 ता 26 का 0.168 है0 ब0हि0बराबर, व प्रतिवादी संख्या 27 ता 33 का 0.015 है0 ब0हि0बराबर रकबा दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे व इसी प्रकार चक 5 बी.जे.डब्ल्यू. द्वितीय की जमाबन्दी सम्वत 2062 के खाता संख्या 31 के प0 न0 232/58(37) के कि0न0 13/0.253 है0, 15–16/0.506 है0, 18/0.253 है0, 23/0.228 है0, 25/0.228 है0 = 1.468 है0 कमाण्ड, प0 न0 12/2(38) के कि0न0 9/0.253 है0, 11/0.228 है0, 12/0.253 है0, 14/0.253 है0, 20/0.228 है0, 21/0.202 है0 = 1.417 है0 .कमाण्ड, प0 न0 12/3(43) के कि0न0 1/0.228 है0, 4/0.253 है0, 6 ता 9/1.012 है0, 10/0.228 है0, 11/0.228 है0, 12 ता 14/0.759 है0 = 2.708 है0 कमाण्ड, प0 न0 232/59(44) के कि0न0 3/0.253 है0, 5/0.253 है0 (क. 0.228 है0, खाला 0.025 है0), 6/0.253 है0 (क. 0.228 है0, खाला 0.025 है0), 14/0.253 है0, 15/0.253 है0 (क. 0.228 है0, खाला 0.025 है0) = 1.265 है0 (क. 1.190 है0, खाला 0.075 है0) खाता की कुल 6.858 है0 में से वादी संख्या 2 का कब्जा काश्त प0 न0 232/58(37) के कि0न0 15–16/0.506 है0, 25/0.228 है0 = 0.734 है0 कमाण्ड, प0 न0 12/2(38) के कि0न0 9/0.253 है0, 11/0.228 है0, 12/0.253 है0, 14/0253 है0, .20/0.228 है0, 21/0.202 है0 = 1.417 है0 कमाण्ड, प0 न0 12/3(43) के कि0न0 1/0.228 है0, 9/0.253 है0, 10/0.228 है0, 11/0.228 है0 = 0.937 है0 कमाण्ड, प0 न0 232/59(44) के कि0न0 3/0.253 है0, 5/0.253 है0 (क. 0.228 है0, खाला 0.025 है0), 6/0.253 है0 (क. 0.228 है0, खाला 0.025 है0) = 0.759 है0 (क. 0.709 है0, खाला 0.050 है0) खाता की कुल 3.847 है0 (क. 3.797 है0, खाला 0.050 है0), वादी संख्या 3 का प0 न0 232/59 का कि0न0 14/0.253 है0, 15/0.253 है0, (कमाण्ड 0.228 है0, खाला 0.025 है0) = 0.506 है0, (कमाण्ड 0.481 है0, खाला 0.025 है0) व प्रतिवादी सं. 2–4, व 7–8 का कब्जाकाश्त प0 न0 12/3(43) का कि0न0 4/0.253 है0, 6–7–8/0.759 है0, 12 ता 14/0.759 है0 = 1.771 है0 (प्रतिवादी सं. 2 व 4 का 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 7 व 8 का 1/3 हिस्सा), प्रतिवादी सं. 16 ता 33 का कब्जाकाश्त प0 न0 232/58(37) के कि0न0 13/0.253 है0, 18/0.253 है0, 23/0.253 है0 = 0.734 है0 (प्रतिवादी संख्या 16 ता 26 का 11/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 27 ता 33 का 1/12 हिस्सा) दर्ज राजस्व रिकार्ड किये जाने के आदेश दिये जाते है उक्त रकबा रहन है तो यथावत रहेगा।

नोज.....×..... मुबलिग.....×..... बाबत .....×.....
खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह .....×.....फसदों की पालना.....
×.....आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें ।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 21/10/2020 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

(मनोज कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.11.11 17:17:23 IST
Reason: SelfAttested